Department of Science and Technology
Ministry of Science and Technology
Government of India

सत्यमेव जयते

https://dst.gov.in/

महिला विज्ञान और प्रौद्योगिकी (महिलाओं के लिए एस एंड टी) कार्यक्रम के तहत परियोजना प्रस्ताव आह्वान

आवेदन करने की अंतिम तिथि: 7 **जुलाई** 2023

1982 में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इनपुट के साथ महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई योजना 'महिलाओं के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी' ने देश भर में लगभग 50,000 से अधिक महिलाओं को लाभान्वित किया है। इस कार्यक्रम के परियोजना प्रस्ताव ई-पीएमएस पोर्टल (https://onlinedst.gov.in/) के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। यह कार्यक्रम महिलाओं के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी अनुकूलन, हस्तांतरण और प्रदर्शन और स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता और सफाई; महिला सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा; कृषि- नॉन-फार्म और फॉर्म; दस्तकार और वस्त्र के अभिज्ञात महत्वपूर्ण क्षेत्रों में महिला प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना तथा प्रमुख/लक्षित लाभार्थियों के रूप में महिला आजीविका स्थिति में सुधार के विषय में अनुसंधान और विकास से संबंधित परियोजना को सहायित करता है। एसटीडब्ल्यू कार्यक्रम का ब्यौरा https://dst.gov.in/programmes-innitiatives पर उपलब्ध है।

i). **महिला प्रौद्योगिकी पार्क**

महिला प्रौद्योगिकी पार्क (डब्ल्यूटीपी) का उद्देश्य किसी क्षेत्र में प्रमुख महिला आजीविका प्रणाली की सबसे कमजोर कड़ी को मजबूत करना और विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष हस्तक्षेप के माध्यम से आजीविका प्रणाली की सबसे मजबूत कड़ी के आधार पर सामाजिक उद्यमिता और महिला रोजगार को बढ़ावा देना है। ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में महिला क्षेत्र विशिष्ट संसाधनों का उपयोग करते हुए, कौशल विकास और क्षमता निर्माण के लिए डब्ल्यूटीपी में प्रदर्शित लाइव प्रौद्योगिकी मॉडल पर प्रशिक्षण देने के प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान में, देश में विभिन्न स्थानों पर 25 महिला प्रौद्योगिकी पार्क कार्यशील हैं। डब्ल्यूटीपी की सफलता की कुछ कहानियां https://dst.gov.in/success-stories-dst पर दी गई हैं।

उद्देश्य

- आजीविका सृजन और सामाजिक उद्यम निर्माण के लिए क्षेत्र विशिष्ट प्राकृतिक संसाधनों और उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना।
- क्षेत्र में महिलाओं के लिए प्रमुख आजीविका प्रणाली का अभिज्ञान और परियोजना क्षेत्र में सामाजिक उद्यमिता में सुधार हेतु एस एंड टी आधारित उत्पाद/सेवा/उपकरण/प्रौद्योगिकियों का अनुप्रयोग।
- डब्ल्यूटीपी में प्रमाणित प्रौद्योगिकियों और मॉडलों को प्रदर्शित और अंतरित करना।
- महिलाओं के कौशल विकास, जागरूकता सृजन और क्षमता निर्माण के माध्यम से उनके लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करना।

- परियोजना पूर्व और उपरांत महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का अध्ययन और आकलन करना।

ii). महिला उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के अनुकूलन, हस्तांतरण और प्रदर्शन पर अनुसंधान और विकास

इस कार्यक्रम के केंद्र में अनुप्रयुक्त अनुसंधान और विकास का संवर्धन, प्रौद्योगिकी अनुकूलन, ज्ञान सृजन और प्रसार और सिद्ध प्रौद्योगिकियों का अंतरण है जिसका लक्ष्य महिलाओं के जीवन चक्र के विभिन्न चरणों अर्थात लाभकारी महिला रोज़गार सृजन सामर्थ्य; उनके अरुचिकर कार्य में कमी; एस एंड टी ज्ञान और जागरूकता सृजन; स्वास्थ्य और पोषण; स्थानीय गतिशीलता; स्वच्छ ऊर्जा; एकीकृत कृषि पद्धति; वित्तीय सेवाएं/ साधन; विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग और अनुप्रयोग के माध्यम से विविध ऐप्स कौशल विकास और सामाजिक सुरक्षा सहित उपकरणों के जरिए मानसिक और शारीरिक कल्याण अवसंरचना के संबंध में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना है। इनके अलावा, इसका उद्देश्य महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से जीवन और आजीविका की गुणवत्ता में सुधार हेतु उत्पाद/सेवा प्रदान करना है।

उद्देश्य

- परियोजना क्षेत्र में महिला केंद्रिक आजीविका विकल्प और प्राकृतिक संसाधन अभिज्ञान।
- स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, एकीकृत खेती, उपकरणों और ऐप्स के माध्यम से मानसिक और शारीरिक कल्याण अवसंरचना, कठिन परिश्रम में कमी, व्यावसायिक खतरों आदि में इनपुट और एस एंड टी के अनुप्रयोग के माध्यम से महिला संबंधी मुद्दों पर गौर करना। ।
- किसी क्षेत्र में महिलाओं के लिए प्रमुख आजीविका प्रणाली की सबसे कमजोर कड़ी पर गौर करने के लिए एस एंड टी इनपुट प्रदान करना।
- महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को विकसित और अनुकूलित करना और सिद्ध प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण करना।
- प्रकाशनों के माध्यम से महिलाओं के मुद्दों और एस एंड टी उत्पाद/सेवा संबंधी ज्ञान का प्रसार करना और स्थानीय और राज्य सरकार के साथ संबंध विकसित करना।

महत्वपूर्ण क्षेत्र

1. स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता और सफाई

- महिला स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना तक अभिगम में सुधार।
- महिला स्वास्थ्य के मुद्दों पर गौर करने के लिए वैज्ञानिक उत्पाद/सेवा/आईसीटी-आधारित मोबाइल ऐप/उपकरण (जैसे पोस्ट-क्रिटिकल इलनेस केयर, उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था में स्लीप एपनिया, मूत्र और फ्लैटस ऐच्छिक नियंत्रणाभाव, मानसिक स्वास्थ्य, रजोनिवृत्ति पश्च और संबंधित लक्षण आदि)।
- महिला पोषक तत्व प्रबंधन वेब-आधारित डिजिटल साधन ।
- महिला स्वास्थ्य सुधार के लिए प्राकृतिक संसाधनों के इष्टतम उपयोग हेतु वैज्ञानिक उत्पाद/सेवा।

2. महिला सुरक्षा और सामाजिक रक्षा

- महिला सुरक्षा और सामाजिक रक्षा संबंधी मुद्दों पर अनुसंधान और विकास।
- महिला जीवन चक्र के विभिन्न चरणों में महिला रक्षा और शिक्षा हेतु आईसीटी उपकरण और अन्य नवीन प्रौद्योगिकियां।

3. कृषि-फार्म और गैर-कृषि

- फसल नुकसान को कम करने की दृष्टि से महिला किसानों को इष्टतम निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करने के लिए कृषि और पूर्वानुमान (अर्थात भू-मानचित्रण, फसल योजना, व्यक्तिगत कृषि योजना, मौसम, मिट्टी, पेस्ट और फसल डेटा) के लिए डिजिटल साधन।
- कठिन पर्यावरणीय परिस्थितियों और सिविल/निर्माण संबंधी कार्यों में काम करने वाली महिलाओं के व्यावसायिक खतरों को कम करने के उपकरण/प्रौद्योगिकियां।
- कृषि/गैर-कृषि गतिविधियों के लिए श्रम-बचतकारी प्रौद्योगिकियां और महिलाओं के अनुकूल मशीनें।
- अपशिष्टों का पुनर्चक्रण और पशु या पोल्ट्री खाद्य के रूप में उनका उपयोग आनुवंशिक रूप से बेहतर प्रौद्योगिकियां हैं।
- आजीविका-केंद्रित सामाजिक-आर्थिक विकास में महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए उन्नत कृषि पद्धतियां (जैसे नर्सरी रखरखाव पर बहु फसल ज्ञान - बागवानी और बारहमासी फसलों की नर्सरी कलम बांधना-, कृषि-वानिकी, सिल्वी-चारागाह, हाइड्रोपोनिक खेती प्रणाली आदि)।
- महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए आजीविका केंद्रित अभिनव और सतत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उत्पाद/सेवा ।

4. शिल्पकार एवं वस्त्र

- पारंपरिक शिल्पकारों, डिजिटल आर्ट मेकिंग और क्राफ्ट डिजाइनिंग की कड़ी मेहनत में कमी।
- पारंपरिक शिल्पकारों और कपड़ा डिजाइनरों (जैसे 3डी प्रिंटिंग और डिजाइनिंग, सीएडी टूल्स, बेहतर मशीनों और उपकरणों आदि) की कार्य परिस्थितियों की दक्षता में सुधार के लिए एस एंड टी अंतःक्षेप।

पात्रता मानदंड

एसटीडब्ल्यू कार्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए महिलाओं को स्थानीय आत्मनिर्भरता प्राप्त कराना है। परियोजना कार्यान्वयन वर्णित शर्तों के साथ निम्नलिखित संगठनों / संस्थानों के माध्यम से किया जा सकता है।:-

- मान्यता प्राप्त अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाएं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित संस्थान, विश्वविद्यालय, शैक्षिक संस्थान और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित स्वैच्छिक संगठन।
- गैर-सरकारी संगठन/स्वैच्छिक/एस एंड टी आधारित संगठनों/निजी शैक्षणिक संस्थानों को, जिनके पास एस एंड टी अंतःक्षेप और प्रबंधन में न्यूनतम 3 वर्ष का फील्ड स्तर का अनुभव है, पंजीकरण के बाद क्षेत्र स्तर के अनुप्रयोगों के लिए सिद्ध प्रौद्योगिकी मॉडल समुदाय को प्रदान करने चाहिए थे । भारत सरकार के वैज्ञानिक विभागों की सहायता से एस एंड टी पर ध्यान केंद्रित करने वाली परियोजनाओं के प्रबंधन में अनुभव को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- एस एंड टी आधारित स्वैच्छिक संगठन, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत या भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1982 या धर्मार्थ या धार्मिक अधिनियम 1920 के तहत पंजीकृत ट्रस्ट या संबंधित राज्य अधिनियम के तहत, जिनके अधिदेश में एस एंड टी आधारित अंतःक्षेप हैं।
- परियोजना प्रस्ताव अनुदान के लिए आवेदन करने से पहले, प्रत्येक एनजीओ के लिए नीति आयोग https://ngodarpan.gov.in के एनजीओ-दर्पण पोर्टल पर पहले पंजीकरण करना और एनजीओ यूनिक आईडी प्राप्त करना अनिवार्य है।
- गैर सरकारी संगठनों /वीओ को विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) प्रमाण पत्र (अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण तक, यदि कोई हो, अभिगम) प्रस्तुत करना चाहिए।

- संगठन को पंजीकरण के बाद कम से कम तीन साल तक अस्तित्व में होना चाहिए और एस एंड टी पर ध्यान केंद्रित करने वाली परियोजनाओं के प्रबंधन में अनुभव होना चाहिए।
- संगठन में कार्यालय, अपेक्षित स्थान/भूमि सहित विनिर्दिष्ट अवस्थिति में बेहतरकारी उपाय करने के लिए भौतिक उपस्थिति रहनी चाहिए । यदि फील्ड क्षेत्र किसी अन्य जिले/राज्य में है तो उस क्षेत्र में फील्ड कार्यालय के रूप में संगठन की भौतिक उपस्थिति अनिवार्य है।
- प्रस्तावित पीआई और सह-आई के पास अंतःक्षेप के प्रस्तावित क्षेत्र में परियोजना को लागू करने के लिए वैज्ञानिक विशेषज्ञता और प्रासंगिक योग्यता होनी चाहिए।

प्रधान अन्वेषक (पीआई)/सह-पीआई

- आईआईटी, एनआईटी, स्वायत्त निकायों/सहायता प्राप्त संस्थानों और केंद्र/राज्य सरकारों के अधीन अन्य शैक्षणिक संस्थानों/विश्वविद्यालयों, अनुसंधान एवं विकास संस्थानों, प्रयोगशालाओं और सामाजिक स्तर पर पर्याप्त बुनियादी ढांचे और परियोजना कार्यान्वयन अनुभव वाले विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित संगठनों/गैर सरकारी संगठनों में कार्यरत वैज्ञानिक, इंजीनियर, प्रौद्योगिकीविद।
- गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों के पीआई के मामले में, यह सलाह दी जाती है कि प्रस्ताव को एस एंड टी संस्थानों (आईआईटी, एनआईटी, आईसीएआर संस्थानों, सीएसआईआर प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों आदि) के सहयोग से विकसित किया जाना चाहिए। परियोजना कार्य में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के योगदान को रेखांकित करने वाले प्रस्ताव के साथ तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए एस एंड टी संस्थान के साथ सहमति पत्र/समझौता ज्ञापन भी संलग्न किया जाना चाहिए।

परियोजना सहायता की अवधि

परियोजना प्रस्तावों को उत्प्रेरित किया जा रहा है और *2-3* वर्ष की अवधि के लिए वित्तीय रूप से सहायित किया जा
रहा है। परियोजना प्रस्ताव में प्रारंभिक *3* महीने समुदाय को अंतर्ग्रस्त करते हुए आवश्यकता मूल्यांकन और गैप पहचान के सत्यापन के सर्वेक्षण*,* लाभार्थियों और हितधारकों के चयन पर केंद्रित होने चाहिए*,* जबकि एसटीआई के आउटपुट और महिलाओं पर प्रभाव परियोजना के प्रत्येक वर्ष के दौरान मापन योग्य और संकेतक होने चाहिए।

वित्त पोषण सहायता

आवर्ती और गैर-आवर्ती लागत को पूरा करने के लिए परियोजना सहायता प्रस्तावित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यकताओं पर आधारित होगी। इसमें जनशक्ति के लिए बजट (एसआरएफ, जेआरएफ, परियोजना सहायक या समकक्ष), उपभोज्य सामग्री, आकस्मिकता, यात्रा (देश के भीतर), पूंजीगत संपत्ति, प्रशिक्षण, क्षेत्र मूल्यांकन और संस्थागत ओवरहेड आदि शामिल हैं। परियोजना के तहत जनशक्ति में डीएसटी मानदंडों के अनुसार प्रत्येक विनिर्दिष्ट पद के लिए प्रासंगिक योग्यता और अनुभव / विशेषज्ञता होनी चाहिए जो दो-तीन वर्षों के लिए प्रस्तावित गतिविधियों हेतु उपयुक्त होनी चाहिए।

पीआई के लिए प्रस्ताव निरूपण अनुदेश

- कार्यक्रम नियमित प्रशिक्षण/जागरूकता/सर्वेक्षण वाले बुनियादी अनुसंधान प्रस्तावों को प्रोत्साहित नहीं करेगा। परियोजना में तकनीकी अंतःक्षेप और लक्षित आबादी को लाभ स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए (निर्धारण-योग्य ध्येय, लक्ष्य और सत्यापन योग्य प्रगति संकेतकों की सूची प्रदान की जानी चाहिए)।

- लक्षित महिलाओं की पहचान के लिए स्थानीय पंचायत / संगठन को शामिल करना और कार्यक्रम के कार्यान्वयन में स्थानीय पर्यवेक्षण करना
- लक्षित जनसंख्या की सामाजिक-आर्थिक स्थिति की समीक्षा प्रदान की जानी चाहिए।
- आधारभूत सुविधाएं केवल लक्षित आबादी के लिए अभिगम्य क्षेत्र में प्रदान की जाएंगी ।
- उपलब्ध स्थानीय संसाधनों के आधार पर प्रौद्योगिकी पैकेजों का चयन किया जाना चाहिए।
- सूक्ष्म उद्यम विकास के लिए रोजगार और आय सृजन दोनों पर जोर दिया जाना चाहिए।
- प्रस्ताव में विपणन सहलग्नता को स्पष्ट रूप से वर्णित किया जाना चाहिए। डीएसटी सहायता के बाद परियोजना का सातत्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- कार्यक्रम के तहत अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की अनुमति नहीं है।
- परियोजना क्षेत्र और परियोजना स्थल की पहचान निम्नलिखित मानदंडों का उपयोग करते हुए क्षेत्रों के साथ-साथ लोगों के प्रारंभिक मूल्यांकन के आधार पर की जानी चाहिए::
  i. अवसंरचनात्मक सुविधा विशेषकर सड़कों, बिजली और सिंचाई की क्षमता का न्यूनतम स्तर।
  ii. पंचायतों या सहकारी या स्वैच्छिक समूहों जैसे स्थानीय संगठनों की उपस्थिति।
  iii. समरूप गांवों की कुछ संख्या उनकी सामाजिक संरचना के संदर्भ में बेहतर है।

चयन प्रक्रिया

प्रत्येक प्राप्त आवेदन की जांच शुरू में संबंधित अधिकारियों और सचिवालय द्वारा की जाती है। यदि आवेदन पूर्ण पाया जाता है और पात्रता मानदंडों को पूरा करता है, तो प्रस्ताव को समकक्ष व्यक्ति समीक्षा / स्क्रीनिंग प्रक्रिया के लिए भेजा जाएगा। इसके अलावा, सिफारिश के लिए विशेषज्ञ समिति के सदस्यों द्वारा प्रस्तावों की जांच की जाती है।

अनुवीक्षण क्रियाविधि

परियोजनाओं के कार्यान्वयन की नियमित रूप से निगरानी डीएसटी को संगठन द्वारा प्रस्तुत प्रगति रिपोर्टों और वित्तीय विवरणों के माध्यम से की जाएगी। विशेषज्ञों द्वारा संस्तुत किए जाने पर विशेषज्ञ समिति की बैठकों/समूह निगरानी और ऑनसाइट फील्ड मूल्यांकन के दौरान परियोजना की प्रगति का मूल्यांकन किया जाएगा। डीएसटी अनुमोदित स्थानीय सलाहकार समिति निष्पादित किए जा रहे कार्य की प्रगति की समीक्षा करने और परियोजना के उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपाय सुझाने हेतु संगठन का दौरा समय-समय पर कर सकती है। परियोजना निगरानी और मूल्यांकन संकेतक डीएसटी की वेबसाइट से रेफर किए जा सकते हैं।

डब्ल्यूटीपी का स्थिरता

परियोजना की अवधि पूरी होने के बाद इसके सातत्य को वित्तपोषण एजेंसियों जैसे नाबार्ड, जिला अग्रणी बैंक आदि के साथ बैकवर्ड लिंकेज के माध्यम से तैयार किया जाना चाहिए। और जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी), एसआरएलएम और एनआरएलएम आदि के माध्यम से कौशल और उत्पादों के विपणन के लिए अग्रानुबंधन होना चाहिए। स्थानीय सामुदायिक समूहों और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के गठन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। परियोजना सहायता के तहत परियोजना के पूरा होने के बाद भी सृजित और परिनियोजित अवसंरचना और पूंजीगत परिसंपत्तियां सर्व साधारण के लिए उपलब्ध होनी चाहिए।

परियोजना प्रस्ताव के साथ पालन किए जाने वाले निर्देशों और दस्तावेजों /अनुलग्नकों को प्रस्तुत करना आवश्यक है

- आवेदकों को कार्यक्रम की पात्रता शर्तों के अनुसार अपनी पात्रता और उपयुक्तता का आकलन करने के बाद, **ई-प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम (ई-पीएमएस पोर्टल) (https://onlinedst.gov.in/)** (बेहतर

परिणामों के लिए गूगल क्रोम या मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स में अभिगम्य) **के माध्यम से आवेदन** करना होगा, संबंधित व्यक्तियों/अधिकारियों के हस्ताक्षर और रबर स्टैंप के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना होगा, जिसमें विफल रहने पर प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया जाएगा। प्रस्तावों को केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

- डीएसटी किसी भी व्यक्तिगत कारणों, क्षेत्रीय त्योहारों, खराब नेटवर्क गति, प्राकृतिक आपदाओं आदि के कारण पीआई द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। सभी अपूर्ण आवेदनों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। हालांकि, अस्वीकार किए गए उम्मीदवारों के पास चयन के बाद के चरणों में आवेदन करने का विकल्प होगा।
- संगठन/प्रधान अन्वेषक को जिनकी परियोजनाओं को डीएसटी द्वारा महिलाओं के लिए एसएंडटी योजना के तहत पिछले आह्वानों को स्वीकार नहीं किया गया, वही प्रस्ताव फिर से प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
- कृपया निम्नलिखित दस्तावेजों की एक प्रति प्रस्तुत करें:
  - गैर सरकारी संगठन/निजी संस्थान के वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।
  - संगम ज्ञापन, सोसायटी/ट्रस्ट/धारा 8 कंपनी के नियम और उपनियम।
  - परियोजना भागीदारों के बीच समझौता ज्ञापन/सहमति (यदि कोई हो)।
  - पर्यावरण, कानूनी और नैतिक मुद्दे - मंजूरी प्रमाण पत्र / दस्तावेज ** (यदि कोई हो)
  - पीआई और को-पीआई का बायो-डेटा
  - पीआई, सीओ-पीआई और एचओडी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित डीएसटी की "हित टकराव नीति" के संबंध में घोषणा और इसके उपबंधों **(https://dst.gov.in/sites/default/files/DST-Conflict-of-Interest-Document%20-Approved-Final%20Version-07062016.pdf** पर उपलब्ध) का पालन करने के लिए सहमत होना

➢ **प्रस्ताव प्रस्तुत करने से न्यूनतम 9-12 महीने के बाद सहायता लिए के प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लेने का समय होने की प्रत्याशा है। कृपया भविष्य के सभी पत्राचार में ई-पीएमएस पोर्टल से प्राप्त फ़ाइल नंबर / टीपीएन नंबर का उल्लेख करें।**

उपरोक्त कॉल फॉर प्रपोजल के बारे में किसी भी प्रश्न / पत्राचार के लिए, निम्नलिखित पते पर ईमेल करें: -

डॉ. देबप्रिय दत्ता (प्रमुख एवं सलाहकार), ई-मेल: ddutta@nic.in

और

डॉ अनुराधा पुघाट (वैज्ञानिक), ई-मेल: anuradha.pughat@gov.in

समानता, सशक्तिकरण और विकास प्रभाग के लिए विज्ञान (सीड)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

प्रौद्योगिकी भवन, न्यू महरौली रोड

नई दिल्ली - 110 016

परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु प्रपत्र

प्रपत्र भरने के निर्देश

प्रस्तावों को अनिवार्य रूप से **ई-प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम (ई-पीएमएस पोर्टल (https://onlinedst.gov.in/)** के माध्यम से विभागीय अपेक्षानुसार और खंड IV में उल्लिखितानुसार विधिवत प्रमाणित सभी सूचीबद्ध दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी सहित प्रस्ताव की सॉफ्टकॉपी (अनुक्रमित तरीके से) के नीचे एकल पीडीएफ फाइल में आवेदित किया जाना चाहिए।

i. किसी भी खंड में सूचना देना न छोड़ें, भले ही उत्तर "शून्य" हो या कहीं और दिया गया हो।
ii. शैक्षिक और/अथवा अनुसंधान संस्थानों के साथ संयुक्त प्रस्तावों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
iii. यदि परियोजना को एक से अधिक संस्थानों द्वारा निष्पादित किया जाना है और/अथवा अन्य वैज्ञानिकों से नियमित निविष्टियों की आवश्यकता है, तो सहयोगी संस्थानों/वैज्ञानिकों के नाम उल्लिखित किए जाने चाहिए।
iv. अन्य स्रोतों से अनुकरण किए गए प्रस्तावों को सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

भाग I: सामान्य जानकारी और संगठन विवरण

1. **परियोजना नाम** (15 शब्दों से अधिक नहीं):
   (नाम प्रस्तावित उद्देश्यों से संबंधित होना चाहिए)
2. **कार्यान्वयन संगठन का नाम**, **पिन कोड सहित पता**, **ईमेल और विभागाध्यक्ष के मोबाइल नंबर सहित फोन नंबर:**

3. **परियोजना अवधि:**

4. **प्रस्तावित उद्देश्य (केवल 4-5)**, परियोजना की **2-3** वर्ष की अवधि में प्राप्त करने पर फोकसित और सुस्पष्ट लिए केंद्रित और सक्रिय होना चाहिए।
5. **क. कार्यान्वयन संगठन का प्रकार (निशान लगाएं √):**

शैक्षिक संस्थान	
अनुसंधान संगठन/ एजेंसियां	
एस एंड टी परिषद अथवा राज्य स्थापित स्वायत्त संगठन	
सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1860) अथवा उसके राज्य संशोधन भारतीय न्यास अधिनियम (1882) अथवा धार्मिक और धर्मार्थ संस्थान पंजीकरण अधिनियम (1920) के तहत पंजीकृत स्वैच्छिक संगठन	
कंपनी अधिनियम के तहत, गैर-लाभकारी उद्देश्यों (उदाहरण के लिए धारा 25 के तहत) के लिए स्थापित निगमित संस्थान	
व्यावसायिक और उद्योग संघ	
निजी अनुसंधान एवं विकास केंद्र (डीएसआईआर द्वारा मान्यता प्राप्त)	
पंचायती राज संस्थान (पीआरआई)	

कृषि विज्ञान केंद्र	
अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	

ख. निम्नलिखित तालिका संरूप में अलग-अलग पत्रशीर्ष (लेटर हेड) पर कार्यान्वयक संगठन का विवरण (संगठन के प्रमुख द्वारा विधिवत प्रमाणित दस्तावेजी प्रमाणों सहित)

संगठन का विवरण		
स्थापना वर्ष:		
पंजीकरण संख्या और तिथि:		मान्यता समाप्ति की तिथि:
एफसीआरए पंजीकरण संख्या और तिथि:		मान्यता समाप्ति की तिथि:
पैन **#:**	टिन नंबर:	टैन नंबर
जीएसटी सं.	एचओडी/न्यासियों का आधार विवरण	
बैंक खाता **#:** शाखा का पता और ईमेल:		
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता:		
आईएफएससी कोड:,	एमआईसीआर कोड:	
मुख्य पदाधिकारी:		
गत वित्तीय वर्ष में वार्षिक बजट:		
प्रचालन क्षेत्र (राज्य, जिला):		
शाखा/इकाई कार्यालयों का विवरण:		
कुल स्टाफ (प्रशासनिक और तकनीकी):		
विगत तीन वर्षों में मुख्य विज्ञान-समाज उपलब्धियां:		
डीएसटी से साहचर्य का वर्ष:		

- **कृपया देखें कि अनुदान किस्त को सब्याज खाते में रखा जाना है (बैंक विवरण, बैंक द्वारा विधिवत प्रमाणित होना चाहिए)।**

ग. प्रस्तावित परियोजना के सहयोगी भागीदार, यदि कोई हों, तो संस्थान (संस्थानों) का ब्यौरा दें।

संगठन और सहयोगी भागीदार का नाम**:**		
पता**:**		
जिला**:**	राज्य**:**	पिन**:**
एसटीडी कोड सहित दूरभाष**:**	फेक्स **:**	
ईमेल**:**		
वेबसाइट**:**		

6. परियोजना भागीदारों की भूमिका और उत्तरदायित्व:

विवरण	**वर्तमान सहयोग / भूमिका और** उत्तर**दायित्व**	**प्रस्तावित परियोजना में भूमिका और** उत्तर**दायित्व**
कार्यान्वयन संगठन		
सहयोगी संगठन		

7. परियोजना दल

	पीआई	सह-पीआई	सह-पीआई-/आरए/तकनीकी अथवा परियोजना सहायक	क्षेत्र कार्यकर्ता
नाम				
पदनाम				
संगठन				
लिंग (पुरुष/महिला)				
वर्ग (अनु. जाति/ अनु. ज. जाति/ अ. पि. वर्ग समान्य)				
जन्मतिथि				
पता				
फोन, फ़ैक्स, ईमेल, मोबाइल				
किसी अन्य स्रोत से वेतन ले रहा है अथवा नहीं				

8. क्या अतीत में (10 साल तक) आपके संगठन की परियोजनाओं को डीएसटी या केंद्रीय/राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग या विदेशी निधीयन एजेंसियों द्वारा मंजूरी दी गई है? यदि हां, तो पूरी हो चुकी और चल रही परियोजनाओं का विवरण दें **(संस्वीकृति पत्र की प्रति संलग्न करें):**

क्र.सं.	**परियोजना का नाम**	**फ़ाइल सं.**	**डिवीजन और निधीयन एजेंसी का नाम (डीएसटी / डीबीटी... ..)**	**पूर्ण होने की तिथि / स्थिति**	**राशि (लाख रुपये)**	**क्या अंतिम यूसी/एसई और वार्षिक रिपोर्ट/परियोजना समापन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है (यदि हां, तो तारीख का उल्लेख करें)**

9. क) क्या आपका संगठन सीड, डीएसटी से मूल सहायता प्राप्त कर रहा है? *हां /नहीं*

ख) यदि हाँ, तो बताएं कि क्या वर्तमान प्रस्ताव की गतिविधियाँ सीड, डीएसटी द्वारा आपके संगठन को प्रदान की गई मूल सहायता की स्वीकृत गतिविधियों के अंतर्गत शामिल हैं? कृपया मूल सहायता के तहत स्वीकृत गतिविधियों की सूची भी दें।

मूल सहायता परियोजना के तहत स्वीकृत उद्देश्यों/गतिविधियों की सूची
i.
ii.

iii.

(**नोट:** मूल सहायता समूह (सीएसजी) को मूल सहायता परियोजना के तहत स्वीकृत गतिविधियों के दोहराव का परिहार सुनिश्चित किया जाए)

10. संगठन की क्षमता और सामर्थ्य

i. संगठन के भीतर उपलब्ध विशेषज्ञता-संसाधन व्यक्ति, प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र से संबंधित पहले से विकसित/उपलब्ध प्रौद्योगिकियां

मद	**कार्यान्वयन संगठन**
• संगठन में उपलब्ध वैज्ञानिक जनशक्ति की सूची	
• प्रासंगिक पेशेवर योग्यता वाले पूर्णकालिक कर्मचारियों की सूची	
• पेशेवर सलाहकार के रूप में उपलब्ध व्यक्तियों की सूची	

ii. इस प्रस्ताव के सदृश परियोजना क्षेत्र में पूर्ण हो चुकी (कम से कम पिछले तीन वर्षों के दौरान) और चालू परियोजनाओं की सूची (पीआई यह सुनिश्चित करेगा कि संगठन द्वारा समान परियोजना का निष्पादन नहीं किया गया है)

iii. प्रस्तावित परियोजना से संबंधित संगठन द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों /कौशल विकास कार्यशालाओं की सूची।

iv. बाह्य एजेंसियों के साथ लिंक:

(कृपया परियोजना कार्यान्वयन अवधि के दौरान आवश्यक निविष्ठिया मांगने के लिए बाह्य एजेंसियों के साथ परिकल्पित लिंकेज के बारे में जानकारी प्रदान करें)

क. **स्थानीय निकायों (पंचायतों/आरडब्ल्यूए/बीडीओ/स्थानीय सहकारी समितियों) के साथ लिंक:**

नाम	**उद्देश्य और अपेक्षित जानकारी**

ख. **स्वैच्छिक संगठनों के साथ लिंक:**

नाम	**उद्देश्य और प्रत्याशित जानकारी**

ग. **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों/विषय सलाहकारों के साथ लिंक:**

नाम	**उद्देश्य और प्रत्याशित जानकारी**

घ. **उद्योग, बैंकों/अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ लिंक:**

नाम	**उद्देश्य और प्रत्याशित जानकारी**

v. निधीयन स्रोत और खरीद के वर्ष के साथ उपलब्ध प्रमुख उपकरणों, बुनियादी ढांचे और परिसंपत्तियों की सूची (प्रस्तावित परियोजना कार्यान्वयन में उपयोग की जा सकती है)।

क्र.सं.	**उपकरण**	**निधीयन एजेंसी**	**अधिप्रापण वर्ष**

vi. संगठन द्वारा परियोजना प्रस्ताव संबंधी प्रकाशनों (रिपोर्ट, पत्र, पेटेंट, आदि) की सूची

vii. पिछले तीन वर्षों में प्रमुख उपलब्धियां-प्रासंगिक भाग/वार्षिक रिपोर्टें

viii. कोई अन्य संबंधित जानकारी (कृपया निर्दिष्ट करें):

भाग II - तकनीकी और बजटीय विवरण

1. **परियोजना का शीर्षक** (15 शब्दों से अनधिक):
   (शीर्षक प्रस्तावित उद्देश्यों से संबंधित होना चाहिए)
2. **उद्देश्य** (केवल 4-5 केंद्रित उद्देश्य, जिनका अनुपालन, मापन या स्पष्ट रूप से मूल्यांकन किया जा सकता है **):**

i.
ii.
iii.

3. **I. समस्या का विवरण** (200 शब्द)
   i. महिलाओं से संबंधित उस समस्या का उल्लेख करें जिसका आप समाधान करना चाहते हैं:
   ii. यह समस्या कहाँ होती है?
   iii. आपको इसका कैसे पता चला, क्या जिन लोगों को समस्या है, वे आपके पास आए या आपने स्वयं परिकल्पना की?
   iv. क्या समस्या की पहचान के लिए जिला उद्योग केंद्र की रिपोर्ट की जांच की गई थी (कृपया प्रति संलग्न करें)
   v. इसे हल करना क्यों जरूरी है?

   II. प्रौद्योगिकी अंतराल और सुझाए गए समाधान (150 शब्द):
   (वर्णन करें कि वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से ठोस अवधारणा के आधार पर और उपयोगकर्ता की जरूरतों तथा संसाधनों की स्थानीय उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव से अभिनव और प्रभावी उत्पाद/सेवा की प्राप्ति कैसे होगी)

   i. अपने विचार या उत्पाद/सेवा को रेखांकित करें जिसे विकसित करने की आपकी योजना हैं:
   ii. क्या आपने अपनी टीम के भीतर विज्ञान और प्रौद्योगिकी-आधारित उत्पाद/सेवा की अवधारणा तैयार की या इसे दूसरों (जो) के परामर्श से तैयार किया गया :
4. **स्थिति की समीक्षा** - (100 शब्द): क्या आप इस समस्या को हल करने के लिए प्रस्तावित कार्यकलापों से संबंधित किसी अन्य पहल से अवगत हैं? उसके परिणाम क्या थे?
   (वर्तमान स्थिति के संदर्भ में परियोजना के महत्व का उल्लेख करें, और प्रदर्शित करें कि कैसे परियोजना पहचान की गई समस्या और उपयोगकर्ता की जरूरतों के लिए नए अभिनव तकनीकी उत्पाद/सेवा प्रदान करने में दूसरों द्वारा की गई "अत्याधुनिक" या सर्वोत्तम पहल से आगे बढ़ेगी)
5. **आधारभूत आंकड़े:**

परियोजना क्षेत्र: □ ग्रामीण□ शहरी □दोनों
फोकसित भौगोलिक क्षेत्र: गाँव/शहरी इलाका:_____ ब्लॉक/तालुका: _____ ज़िला: _____; राज्य: _____

परियोजना क्षेत्र प्रोफाइल (साफ-सुथरे अवस्थिति मानचित्र के साथ निम्नलिखित विवरण दें):
I. कवर किया गया भौगोलिक क्षेत्र, जलवायु, भूमि उपयोग पैटर्न, फसलें और फसल पैटर्न, प्राकृतिक संसाधनों और कच्चे माल की उपलब्धता, विशेष कौशल/व्यापार की उपलब्धता आदि।
I I. क) सामाजिक-आर्थिक स्थिति (जैसे कि लक्षित लाभार्थियों की स्थिति और व्यवसाय, बुनियादी सुविधाओं और सुविधाएं जैसे पानी और स्वच्छता, स्वास्थ्य केंद्र, संचार, सड़कों, विपणन सुविधाओं की उपलब्धता) परियोजना क्षेत्र का आधारभूत डेटा - आवश्यकता मूल्यांकन के आधार पर, समस्या की पहचान के आधार पर ख) परियोजना क्षेत्र की जिला उद्योग केन्द्र, स्थानीय पंचायत की रिपोर्ट ग) आधारभूत डेटा शीट जिसका परियोजना गतिविधियों के कार्यान्वयन के दौरान परिणामों और प्रदेय के संबंध में वार्षिक मूल्यांकन किया जा सकता है (यदि यह उन्नत कृषि पद्धतियों के माध्यम से आजीविका अवसरों में सुधार करने के लिए है, तो मिट्टी की स्थिति, फसल उत्पादकता और रोग प्रबंधन आदि के संदर्भ में वर्तमान स्थिति क्या है)

6. **कार्यप्रणाली** :

(विवरण दें कि इस कैसे परियोजना से आजीविका/आर्थिक अवसरों में किस प्रकार वृद्धि होगी और स्थायी तरीके से सामाजिक चुनौतियों का समाधान किस प्रकार होगा। यह भी बताएं कि कैसे, और किस तरह से, परियोजना से विषय/शीर्षक के ज्ञान उन्नयन में योगदान मिलेगा। परिभाषित चरणों/प्रासंगिक प्रक्रिया विवरण यथा-फ़्लोचार्ट, मॉडल, सर्वेक्षण प्रक्रियाएं, प्रोटोकॉल, इंजीनियरिंग डिजाइन/योजनाबद्ध/लेआउट योजना - घोषित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो भी लागू हो, के समर्थन में दस्तावेज संलग्न करें।)

7. **लक्षित महिला समूह** (कृपया निम्नलिखित विवरण के अनुसार लक्षित महिलाओं की सूची गाँव, पता, मोबाइल नंबर के साथ संलग्न करें):

लक्षित महिलाओं का प्रकार:	**लक्षित महिलाओं की संख्या**	**कुल जनसंख्या का %**	
☐ अ. जा. आबादी ☐ अ. ज. जा. आबादी ☐आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ☐ किसान ☐ मजदूर ☐ कारीगर ☐ युवा ☐अन्य कोई : _____			
प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र में महिलाओं का वर्तमान औसत आय स्तर:			

8. **लक्षित महिलाओं के चयन के लिए अपनाए जाने वाले मानदंड** - चयन के लिए विचार की जाने वाली मूल योग्यताएं/क्षमताएं, प्रति बैच प्रति प्रशिक्षण में प्रशिक्षित की जाने वाली लक्षित महिलाओं की संख्या - नीचे विवरण प्रदान करें:

9. **कार्य योजना** (250 शब्द - कृपया कार्यकलापों की समय-सारणी भी प्रदान करें - पर्ट डायग्राम):

i. **समय सीमा और प्रदेय के साथ चरणवार कार्य योजना तालिका के रूप में (** वर्णन करें कि प्रस्ताव में किस प्रकार प्रौद्योगिकी/उत्पाद के यथार्थवादी उपयोगकर्ता परिवेश में प्रायोगिक अनुप्रयोग या परीक्षण के लिए योजना शामिल है, जहां अंतिम उपयोगकर्ता की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपेक्षित प्रभावों को पूर्ण संभव सीमा तक प्रदर्शित किया जा सकता है)

ii. **प्रौद्योगिकी चयन** (मुख्य समस्या/समस्याओं) का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी के चयन और परियोजना से संबंधित उपलब्ध तकनीकों के मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंड के बारे में बताएं)

iii. **प्रौद्योगिकी विकास/संशोधन/क्षमता वर्धन -** यथाप्रयोज्य (प्रौद्योगिकी विकास /अंगीकरण / संशोधन के लिए किए जाने वाले नए अनुसंधान एवं विकास / अनुकूलित अनुसंधान एवं विकास के बारे में जानकारी प्रदान करें और उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी या प्रशिक्षण पैकेज (ओं) का संक्षिप्त विवरण प्रदान करें। संचालन के पैमाने**,** न्यूनतम आर्थिक व्यवहार्य पैमाने**,** अनुमानित लागत और प्रस्तावित तकनीकी अंत:क्षेप के संभावित लाभों पर जानकारी प्रदान की जानी चाहिए)**:**

iv. **दिए जाने वाले प्रशिक्षण के प्रकार, अवधि, आउटपुट और संख्या-** प्रशिक्षण, प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षक संसाधन व्यक्ति (यों) का विवरण- क्या उपलब्ध विशेषज्ञता संस्थान में मौजूद है या नियोजित किया जाना है, इसके लिए आवश्यक कच्चा माल, परिणाम

v. **लक्षित महिलाओं के लिए नियोजित स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, स्वस्थता, योग आदि पर सुग्राहीकरण कार्यक्रम का विवरण**

vi. **राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचे संरेखण की योजना**

(पात्रता, स्तर, आदि)

vii. **प्रौद्योगिकी का स्रोत :**

स्रोत	**प्रौद्योगिकी**	**एजेंसी/संस्था/व्यक्तिगत विशेषज्ञ का नाम**
कर्मचारियों द्वारा आंतरिक रूप से सृजित		
बाहरी विशेषज्ञों को नियुक्त करके आंतरिक रूप से सृजित		
किसी बाह्य संस्थान/विशेषज्ञ से उधार लिया गया		
लाभार्थियों द्वारा प्रयुक्त प्रौद्योगिकी/ जानकारियों में संशोधन		
कोई अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें):		

viii. **हितधारकों/प्रशिक्षुओं को एकजुट करने और भागीदारी हेतु कार्यतंत्र :**

(कृपया इंगित करें कि परियोजना कार्य में लाभार्थियों/प्रशिक्षार्थियों का एकत्रण और भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाएगी)

☐ परियोजना कार्यान्वयन के लिए नए एसएचजी/प्रौद्योगिकी उपयोगकर्ता समूह या लाभार्थी//प्रशिक्षु समूह का गठन
☐ मौजूदा एसएचजी की सहलग्नता
☐प्रौद्योगिकी या प्रशिक्षण पैकेज की उपयोगिता के प्रदर्शन के माध्यम से
☐ उद्यम गठन के माध्यम से लाभार्थियों/प्रशिक्षुओं का समावेश
☐ लाभार्थियों/प्रशिक्षुओं के लिए भागीदारी/प्रवीणता प्रमाण पत्र का प्रावधान
☐ लाभार्थियों को प्रशिक्षकों और/अथवा प्रशिक्षुओं के रूप में शामिल करना
☐ परियोजना निष्पादन में लाभार्थियों/प्रशिक्षुओं द्वारा वित्तीय योगदान
☐ परियोजना निष्पादन में लाभार्थियों द्वारा सामग्री योगदान (उपकरण/कच्चा माल, श्रम, आदि)।
☐स्थानीय पंचायतों/कल्याण संगठनों के माध्यम से सहयोग
☐कोई अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें):_____

10. परियोजना कार्यान्वयन में पर्यावरणीय, विधिक और नैतिक मुद्दों का विवरण, यदि कोई हो:
(कृपया उल्लेख करें किस प्रकार इनका समाधान किया जाएगा तथा यदि आवश्यक होने पर संबंधित प्राधिकरणों से अनुमति प्रमाण पत्र संलग्न करें)

11. *पारिदेय* *(कृपया लक्षित लाभार्थियों के पारिदेय सामर्थ्य का भी उल्लेख करें)*

पारिदेय	√ **चिह्न लगाएं**	**संक्षिप्त विवरण**
उत्पाद विकास/ अनुकूलन		
प्रक्रिया विकास/ अनुकूलन		
परियोजना क्षेत्र के विकासार्थ प्रौद्योगिकी पैकेज		
प्रौद्योगिकी क्षमता विकास, प्रशिक्षण एवं प्रलेखन (अर्थात रिपोर्ट, दस्तावेज़, लेख, प्रौद्योगिकी पुस्तिकाएं, पेटेंट)		
वैज्ञानिक अधिगम और/अथवा आंकड़ा विकास द्वारा भावीप्रौद्योगिकी विकास		
विकसित एवं वाणिज्यीकृत की जाने वाली प्रौद्योगिकियां		
सृजित एसएचजी की संख्या और नाम		
सृजित सामाजिक उपक्रमों/ स्टार्ट-अप की संख्या व नाम		
विपणन संयोजन विवरण		
लाभार्थी/ प्रशिक्षु का सम्पूर्ण डाटाबेस, संसाधन व्यक्ति व विशेषज्ञ प्रशिक्षक का नाम, पता,		

संपर्क संख्या, ई-मेल आईडी, आधार संख्या (यदि उपलब्ध हों)		
अन्य (कृपया विवरण दें)		

12. अनुमानित लाभ (300 शब्द):

लाभ	मार्क √	संक्षिप्त विवरण
आर्थिक (लागत-लाभ विश्लेषण)		
रोजगार सृजन		
सामाजिक		
सीडीएम लाभार्थ क्षमता सहित पर्यावरणीय		
अन्य (कृपया उल्लेख करे		

नोट: कृपया विभिन्न हितधारकों द्वारा परियोजना परिणाम के संभावित हितलाभ साझा तंत्र पर भी टिप्पणी दें।

13. समान क्षेत्रों में परियोजना पुनरावृत्ति की संभावनाएं (प्रस्तावित प्रौद्योगिकीय समाधान अनुभूत होने के उपरांत, इसका वितरण कैसे किया जाएगा? वृहद स्तर पर प्रौद्योगिकी प्रसार के लिए राज्य सरकार को शामिल करके अथवा बाजार अथवा कोई अन्य तरीका- किसी भी प्रकार से कार्य में शामिल कोई उद्यमी अथवा व्यवसायिक?):

14. निर्दिष्ट उद्देश्य और परिदेयों के संबंध में परियोजना मध्यवर्तन की प्रभाविता जांच हेतु मापनीय संकेतक (सत्यापन विधि सहित 10-12 मूर्त के साथ ही साथ अमूर्त) का सुझाव दें। आपके चयनित सूचकांक द्वारा बेस लाइन डाटा से तुलना करते हुए परियोजना चक्र में टाइम लाइन के प्रतिरूप उद्देश्य मापन और निर्धारण की अनुज्ञा होनी चाहिए/सारणी की नियंत्रण सूची केवल संकेतात्मक है:

क्रम संख्या	मुख्य निष्पादक सूचकांक (यथोपयुक्त)
i.	अनुकूलित एवं प्रसारित प्रौद्योगिकियां
ii.	कुल आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या- उनके शीर्षक, अवधि का विवरण
iii.	कुल प्रशिक्षित महिलाओं की संख्या
iv.	अंतरित प्रौद्योगिकियां, यदि कोई
v.	गठित एस एच जी/ सहकारी/उपक्रम की संख्या- संख्या,शीर्षक
vi.	जीविका/रोज़गार अवसरों में वृद्धि
vii.	बाजार/ उद्यम से वर्धित संयोजन
viii.	संसाधन (प्राकृतिक और/अथवा भौतिक) और संपदा की वर्धित उपलब्धता संसाधनों का समुन्नत अभिगम
ix.	किसी अनुसंधान व विकास संस्थान के साथ सहभागिता- उनका विवरण

x.	तैयार कोई प्रसार लघुपुस्तिका, मैनुअल अथवा फिल्म-शीर्षक और विवरण
xi.	निर्गत प्रकाशनों की संख्या (शीर्षक, जर्नल, अंक, वर्ष)
xii.	अभिगृहीत और अपने जीविकोपार्जन में सुधार के लिए प्रशिक्षुओं द्वार प्रयुक्त प्रौद्योगिकी संबंधी निष्कर्ष
xiii.	विभिन्न कौशल एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मानकीकरण (राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा) तथा संवाहनीयता योजना
xiv.	पारिवारिक आय में वृद्धि
xv.	सतत विकास लक्ष्यों संबंधी योगदान (एसडीजी)
xvi.	अग्रवर्ती और पश्चवर्ती संयोजन संभाव्यता

15. सीड प्रभाग से निधीयन सहायता समापन उपरांत **परियोजना की स्व-संवहनीयता** (1000 शब्द)

भाग III- बजट प्राक्कलन सार

1. कुल बजट (लाख रु. में):

i. आवर्ती लागत (लाख रु. में):

ii. गैर आवर्ती लागत (लाख रु. में):

क्रं सं	मद	बजट			
		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	कुल
क.	**आवर्ती** 1. मानव संसाधन 2. उपभोज्य 3. यात्रा 4. क्षेत्र परीक्षण, प्रदर्शन/प्रशिक्षण व्यय (यथोपयुक्त) 5. आकस्मिक/ अन्य लागत 6. संस्थागत उपरिव्यय* 7. कोई अन्य मद				
ख.	**गैर-आवर्ती** स्थायी उपस्कर (ब्योरा दें) क्या जीईएम पोर्टल पर उपलब्ध है आदिरूप उपकरण की निर्माण आवश्यकता				
ग.	**क्रय किए जाने वाले स्थायी उपस्करों के समर्थन में तुलनात्मक विवरण सहित कोटेशन**				
	कुल योग (क+ख)				

(लाख रु. में)

- वित्तीय वर्ष: अप्रैल से मार्च
- व्यय के प्रत्येक मद संबंधी संक्षिप्त एवं पर्याप्त कारण दिया जाना अनिवार्य है

क. आवर्ती बजट शीर्ष:

1. मानवशक्ति हेतु बजट

क्र.सं.	**पदनाम**	**सं.**	**योग्यता एवं अनुभव**	**मासिक परिलब्धियां (रु.)**	**बजट (लाख रु. में)**			
					प्रथम वर्ष	**द्वितीय वर्ष**	**तृतीय वर्ष**	**कुल**

i. केवल नेट/गेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अनुसंधान सहभागी/एसआरएफ/जेआरएफ-विशिष्ट संसाधन व्यक्ति/प्रशिक्षक (1 अथवा तक सीमित) के रूप में नियुक्त किया जा सकता है
(संदर्भ दिनांक 30-01-2019 का कार्यालय ज्ञापन संख्या एसआर/एस9/जेड-08/2018 और दिनांक 21-08-2019 का कार्यालय ज्ञापन संख्या एसआर/एस9/जेड-05/2019)

ii. परियोजना अवधि में परियोजना कार्मिकों की परिलब्धियों में वृद्धि के लिए डीएसटी द्वारा किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

iii. आवश्यकता-विशिष्ट परामर्श हेतु 'विशेषज्ञों का मानदेय' के रूप में सीमित निधि की अनुमति होगी।

2. उपभोज्य बजट *

क्र.सं.	**उपभोज्य विवरण**	**मात्रा/वर्ष वर्ष**	**बजट (लाख रु. में)**			
			प्रथम वर्ष	**द्वितीय वर्ष**	**तृतीय वर्ष**	**कुल**

*रसायन, प्रयोगशाला उपकरण, कांच की सामग्री, प्रशिक्षण सामग्री, निर्माणार्थ कच्चे माल, स्टेशनरी आदि जैसे मद सम्मिलित हैं।

3. यात्रा बजट

क्र.सं.	**प्रयोजन**	**बजट (लाख रु. में)**			
		प्रथम वर्ष	**द्वितीय वर्ष**	**तृतीय वर्ष**	**कुल**
1	परियोजना संचालन				
2	कार्यक्षेत्र क्रियाकलाप				
3	डीएसटी समीक्षा बैठकें				

i. अंतरराष्ट्रीय यात्रा की अनुमति नहीं है।

ii. परियोजना कार्मिक यात्रा में अत्यधिक मितव्ययता का पालन करेंगे।

iii. प्रथम दो शीर्ष के अंतर्गत प्रस्तावित बजट के लिए विस्तृत औचित्य प्रस्तुत करें।

4. क्षेत्रीय परीक्षण/प्रदर्शन/प्रशिक्षण/एलपीएसी बैठक

क्र.सं.	**क्षेत्रीय परीक्षण/प्रदर्शन/प्रशिक्षण का विवरण** (प्रौद्योगिकी क्षेत्र परीक्षण/डेमो, प्रशिक्षण मैनुअल, लाभार्थियों के लिए प्रशिक्षण व्यय हेतु सामग्री शामिल करें)	**सं/वर्ष**	**बजट (लाख रू. में)**			
			प्रथम वर्ष	**द्वितीय वर्ष**	**तृतीय वर्ष**	**कुल**

नोट: प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण (प्रशिक्षणों) के विषय, लाभार्थियों/प्रशिक्षण की संख्या, प्रशिक्षण दिवसों की अवधि, लागत/प्रशिक्षण संबंधी ब्योरा दें। 5-7 बाह्य विशेषज्ञों वाली ऑनसाइट स्थानीय कार्यक्रम सलाहकार समिति की बैठकों हेतु अलग से बजट होना चाहिए और गैर-कार्मिकों हेतु मानदेय का प्रावधान होना चाहिए।

5. आकस्मिकताओं हेतु बजट *

क्र.सं.	**बजट**	**मात्रा/वर्ष**	**बजट (लाख रु. में)**			
			प्रथम वर्ष	**द्वितीय वर्ष**	**तृतीय वर्ष**	**कुल**

* इसमें कंप्यूटर समय, सचिवीय सहायता, प्रलेखन, प्रौद्योगिकी अंतरण/अधिग्रहण लागत (बौद्धिक शुल्क), प्रयोगशाला/फील्ड परीक्षण, उपकरणों का अनुरक्षण/मरम्मत, आकस्मिक व्यय आदि जैसी मदें शामिल हैं।

ख. गैर आवर्ती बजट शीर्ष:

स्थायी उपकरणों हेतु बजट

क्र.सं.	**उपकरण/मद का विवरण**	**मात्रा**	**बजट (लाख रु. में)**
1			
2			
3			
4			

i. स्थापना शुल्क, परिवहन, कर / शुल्क /करारोपण आदि शामिल हैं। कृपया अपने संस्थान/संगठन पर लागू कर/शुल्क छूट का लाभ उठाने का प्रयास करें।

ii. वित्तीय सहायता हेतु परियोजना की स्वीकृति उपरांत स्थायी उपकरण (अनुमान, यदि उपकरण प्रोटोटाइप परीक्षण आदि के लिए स्थानीय रूप से निर्मित किए जाने हैं) और गैर-आवर्ती मद में अन्य मदों के लिए बजटीय कोटेशन की आवश्यकता होगी। जीईएम पोर्टल में उपलब्ध वस्तुओं (उपभोग्य सामग्रियों/उपकरणों) को केवल जीईएम के माध्यम से ऑनलाइन खरीदा जाना है।

iii. एजेंसियों द्वारा तैयार चित्र/लेआउट आदि, यदि लागू हो, प्रस्तावित वर्क शेड/संरचनाओं के लिए प्रस्तुत किए जाने चाहिए और अधिकारी (पंचायत/व्यक्ति/सरकार/आदि) का सहमति पत्र, अपेक्षित भूमि की उपलब्धता दर्शाने वाले दस्तावेजों से समर्थित होना चाहिए।

iv. इस शीर्ष के अंतर्गत क्रयित मदों के लिए उपयुक्त रिकार्ड रखा जाएगा।

<u>भाग-III- प्रस्ताव का सारांश</u>

(कृपया केवल 2-3 पृष्ठ तक सीमित रखें)

1. परियोजना का शीर्षक:
2. परियोजना समयावधि:
3. प्रस्तावित उद्देश्य (केवल 4-5):
4. प्रधान अन्वेषक का नाम, पता और संपर्क का ब्योरा (एनजीओ/केआई द्वारा):
5. सह-प्रधान अन्वेषक का नाम, पता और संपर्क का ब्योरा (केआई/एनजीओ द्वारा):
6. एनजीओ/वीओ/ निजी संस्थान के रूप में पंजीकरण संख्या और पंजीकरण की तिथि:
7. एनजीओ/वीओ/ निजी संस्थान की एनजीओ दर्पण आईडी:
8. प्रस्तावित कार्य के क्षेत्र:
9. परियोजना प्रकृति:

(यदि लागू हों तो कृपया एक या अधिक बॉक्स चिह्नित करें)

प्रौद्योगिकी विकास (नव उत्पाद /प्रक्रिया अथवा मौजूदा प्रणालियों का अप/डाउन प्रवर्धन)	
प्रौद्योगिकी विकास और अंतरण (क्षेत्र अनुकूलन परीक्षण, प्रदर्शन और प्रौद्योगिकी अंतरण उपरांत उत्पाद / प्रक्रिया का विकास)	
प्रौद्योगिकी प्रसार (अभिज्ञान समस्या के समाधानार्थ उपलब्ध प्रौद्योगिकी का प्रसार)	
प्रौद्योगिकी अनुकूलन/इष्टतमीकरण, प्रदर्शन और प्रशिक्षण	
अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	

10. सहयोग भागीदार (गैर-सरकारी संगठन/केआई/सामाजिक उद्यम/सीबीओ/एसएचजी/एफपीओ आदि) का विवरण:
11. परियोजना कार्यान्वयन में भागीदार संगठन/एजेंसी/समूह की भूमिका:
12. प्रस्तावित परियोजना हेतु समस्या अभिज्ञान तथा बेसलाइन अध्ययन:
13. कार्यप्रणाली (स्पष्ट रूप से परिभाषित चरणों के अनुक्रम में कार्यप्रणाली को बताएं, जिससे वर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति होती है और प्रदान किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण, प्रति प्रशिक्षण प्रशिक्षित किए जाने वाले प्रशिक्षुओं की संख्या, ऐसे प्रशिक्षण के परिणाम):
14. प्रस्तावित परियोजना (ग्राम/खंड/जिलों) का भौगोलिक प्रसार क्षेत्रफल:
15. परियोजना समर्थनार्थ अपेक्षित वर्षवार आकलित बजट:

बजट आकलन: सार

क्र सं	मद	बजट			
		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	कुल
क	**आवर्ती** 1. मानव संसाधन 2. उपभोज्य 3. यात्रा 4. क्षेत्र परीक्षण, प्रदर्शन/ प्रशिक्षण व्यय (यदि लागू है) 5. आकस्मिकता/अन्य लागत 6. संस्थागत उपरिव्यय' 7. कोई अन्य मद				
ख	**गैर-आवर्ती** स्थायी उपस्कर (ब्योरा दें) क्या जीईएम पोर्टल पर उपलब्ध है आदिरूप उपकरण के निर्माण की आवश्यकता				
ग.	क्रय किए जाने वाले स्थायी उपकरणों के समर्थन में तुलनात्मक कोटेशन सहित तुलनात्मक विवरण				
	कुल योग (क+ख)				

16. एसईईडी प्रभाग से निधीयन समर्थन समाप्त होने के उपरांत स्व-संवहनीयता योजना:

<u>अनुलग्नक-I</u>

संस्थान प्रमुख द्वारा अनुसमर्थन
(शीर्ष पत्र पर प्रस्तुत करें)

परियोजना शीषर्क: _____

_____

---

1. प्रमाणित किया जाता है कि संस्थान परियोजना हेतु प्रधान अन्वेषक के रूप मे डॉ./श्री /श्रीमती/कु._____तथा सह अन्वेषक के रूप में डॉ./श्री /श्रीमती/कु._____ का स्वागत करता है तथा प्रधान अन्वेषक द्वारा विरति की अनपेक्षित स्थिति में, सहअन्वेषक परियोजना की निष्कर्षपूर्ण समाप्ति (डीएसटी से अग्रिम सहमति उपरांत) के लिए उत्तरदायी होंगे।

2. प्रमाणित किया जाता है कि अनुदान के नियमों व शर्तों अनुसार उपकरण, अन्य मूलभूत सुविधाएं व ऐसी अन्य प्रशासनिक सुविधाएं अन्वेषक (कों) के लिए परियोजना समयावधि तक प्रदान की जाएंगी।

3. संस्थान परियोजना की वित्तीय एवं अन्य प्रबंधकीय उत्तरदेयताएं सुनिश्चित करता है।

4. प्रमाणित किया जाता है कि संगठन किसी भी राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा कभी भी ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है।

संस्थान प्रमुख का नाम एवं हस्ताक्षर
दिनांक: .....
स्थान:.....

अभियुक्तियां

विभिन्न वैज्ञानिक विभागों के अधीन वैज्ञानिक संस्थानों/ प्रयोगशालाओं से निर्गत अनुसंधान प्रस्तावों के संदर्भ में संस्थान के प्रमुख द्वारा स्पष्ट रूप से अनुसंधान प्रस्ताव के संस्थान के सामान्य अनुसंधान क्रियाकलापों के अनुरूप होने या नहीं होने को स्पष्ट रूप से इंगित करना होगा तथा यदि नहीं होने पर, वैज्ञानिक कारण, जिससे इसकी श्रेष्ठता पर डीएसटी विचार कर सके।

<u>अनुलग्नक-II</u>

अन्वेषकों द्वारा प्रमाणपत्र
(संगठन के शीर्षपत्र पर)

परियोजना शीर्षक: _____

_____

_____

1. हम डीएसटी अनुदान के नियम एवं शर्तों द्वारा बाध्य होंगे।
2. वित्तीय समर्थन के लिए हमने इसे या समान परियोजना प्रस्ताव को अन्यत्र जमा नहीं किया है।
3. हमने यह ज्ञात व सुनिश्चित किया है कि परियोजना के उद्देश्य के लिए उपकरण व मूलभूत सुविधाएं वस्तुतः यथा आवश्यकता अनुसार उपलब्ध होंगे। हम इन मदों के क्रय हेतु इस परियोजना के अधीन वित्तीय समर्थन का अनुरोध नहीं करेंगे।
4. हम वचनबंध प्रस्तुत करते हैं कि स्थायी उपकरणों पर शेष समय को अन्य उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराया जाएगा।
5. हमने निम्नलिखित सामग्रियों को संलग्न किया है (सॉफ्ट प्रति में)
   मद

(क) संस्थान प्रमुख का अनुमोदन (शीर्षपत्र पर)

(ख) संस्थान का पंजीकरण प्रमाणपत्र, संस्थापन प्रलेख, नियम एवं विनियम, विगत तीन वर्षों के परीक्षित तुलनपत्र तथा वार्षिक प्रतिवेदन

(ग) पीएफएमएस अनुसार बचत खाता विवरण

तिथि : ..... प्रधान अन्वेषक का नाम सह प्रधान अन्वेषक का नाम

स्थान:..... एवं हस्ताक्षर एवं हस्ताक्षर

अनुलग्नक-III

प्रधान अन्वेषक और सह-प्रधान अन्वेषक का बायो-डेटा

1. (क) प्रधान अन्वेषक

नाम, पदनाम, विभाग:
संस्थान/विश्वविद्यालय का नाम और पता:
जन्म की तारीख:
सेवानिवृत्ति की संभावित तिथि:
लिंग (पुरुष/स्त्री):
वर्ग (जनरल/एससी/एसटी/ओबीसी):
टेलीफोन (का.), टेलीफोन (नि.) और फैक्स:
मोबाईल:

ख) **शिक्षा और प्रशिक्षण** (स्नातक से उच्चतम योग्यता स्तर तक विषय और विशेषज्ञता के क्षेत्र को दर्शाता है - उच्चतम योग्यता के प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें):

डिग्री	वर्ष	विश्वविद्यालय/संस्थान	विशेषज्ञता का क्षेत्र

ग) **अनुभव का क्षेत्र (मुख्य सूचना)**

घ) अन्वेषक द्वारा जीते गए पुरस्कार/पारितोषिक/प्रमाण पत्र आदि:

ङ) प्रकाशित पत्रों की संख्या

च) महत्वपूर्ण प्रकाशन (अधिकतम 10)

नाम	**लेखक**	**पत्रिका**	**खंड**	**पृष्ठ**	**वर्ष**	**एससीआई सूचकांक**

छ) पिछले पांच वर्षों में प्रस्तावित क्षेत्र से संबंधित प्रकाशनों की सूची

ज) प्रस्तावित प्रस्ताव के लिए प्रासंगिक तकनीकी विशेषज्ञता

झ) (1) **पूर्ण और कार्यशील परियोजनाओं की सूची**

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अवधि कब से कब तक	कुल लागत	निधीयन एजेंसी

प्रधान अन्वेषक के हस्ताक्षर:
विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर:

2. क) सह-प्रधान अन्वेषक

नाम, पदनाम, विभाग:
संस्थान/विश्वविद्यालय का नाम और पता:
जन्म की तारीख:
सेवानिवृत्ति की संभावित तिथि:
लिंग (पुरुष/स्त्री):
वर्ग (जनरल/एससी/एसटी/ओबीसी):
टेलीफोन (का.), टेलीफोन (नि.) और फैक्स:
मोबाईल:
ईमेल:

ख) शिक्षा और प्रशिक्षण (स्नातक से उच्चतम योग्यता स्तर तक विषय और विशेषज्ञता क्षेत्र को दर्शाता हुए- उच्चतम योग्यता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें):

डिग्री	वर्ष	विश्वविद्यालय/संस्थान	विशेषज्ञता

ग) **अनुभव का क्षेत्र** (**मुख्य सूचना**)

घ) अन्वेषक द्वारा जीते गए पुरस्कार/पारितोषिक/प्रमाण पत्र आदि:

ड़) प्रकाशित पत्रों की संख्या

च) महत्वपूर्ण प्रकाशन (अधिकतम 10)

नाम	**लेखक**	**पत्रिका**	**खंड**	**पृष्ठ**	**वर्ष**	**एससीआई सूचकांक**

छ) पिछले पांच वर्षों में प्रस्तावित क्षेत्र से संबंधित प्रकाशनों की सूची

ज) प्रस्तावित प्रस्ताव के लिए प्रासंगिक तकनीकी विशेषज्ञता

झ) (1) **पूर्ण और कार्यशील परियोजनाओं की सूची**

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अवधि कब से कब तक	कुल लागत	निधीयन एजेंसी

अन्य सह-अन्वेषक *

*आप अपनी अपेक्षानुसार अतिरिक्त सह-अन्वेषक को (क), (ख), (ग), (घ), (ड़), (च) सहयुक्त कर सकते हैं ।

सह-प्रधान अन्वेषक के हस्ताक्षर:

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर:

अनुलग्नक-IV

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
समानता, सशक्तिकरण और विकास के लिए विज्ञान(सीड) प्रभाग

एस एंड टी महिला कार्यक्रम के तहत परियोजना सहायता हेतु चुने गए संगठनों के लिए शर्तें

1. कार्यक्रम का फोकस अनुप्रयुक्त अनुसंधान और विकास के संवर्धन, प्रौद्योगिकी/प्रक्रिया के अनुकूलन, ज्ञान सृजन और प्रसार और सिद्ध प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण पर है जिसका उद्देश्य महिलाओं के जीवन चक्र के विभिन्न चरणों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना, और महिलाओं में लाभकारी रोजगार क्षमता पैदा करना है।
2. परियोजना के तहत स्वीकृत जनशक्ति में डीएसटी मानदंडों के अनुसार प्रत्येक स्वीकृत पद के लिए प्रासंगिक योग्यता और अनुभव/विशेषज्ञता होनी चाहिए जो तीन वर्षों के लिए प्रस्तावित गतिविधियों में प्रासंगिक होनी चाहिए। (ओएम संख्या एसआर/एस9/जेड-08/2018 दिनांक 30.01.2019 और एसआर/एस9/जेड-05/2019 दिनांक 21.08.2019 देखें)
3. ऐसे संगठनों को हतोत्साहित किया जाता है, जो सीड प्रभाग, डीएसटी की विभिन्न परियोजनाओं में कई परियोजनाएं एक साथ शुरू करते हों प्रस्तुत करते हों। विभिन्न डब्ल्यूटीपी स्थापित करने के लिए एक ही संस्थान के कई प्रस्तावों से बचना चाहिए।
4. प्रधान अन्वेषक और सह-प्रधान अन्वेषक को परियोजना के लिए पर्याप्त समय देने के लिए सक्षम होना चाहिए और एक साथ दो से अधिक परियोजनाओं को नहीं संभालना चाहिए। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी / संगठन किसी भी वित्तीय और कानूनी प्रशासनिक जिम्मेदारी तथा एजेंसी / संगठन और परियोजना कर्मचारियों के बीच विवाद के मामले में जिम्मेदार होगा। विवादों के ऐसे कानूनी मामलों के लिए डीएसटी उत्तरदायी नहीं होगा।
5. परियोजना के लिए भर्ती किए गए कर्मचारियों को संस्थान के नियमों और भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार भुगतान किया जाना चाहिए। एक कर्मचारी को कई परियोजनाओं से वेतन नहीं लेना चाहिए।
6. बहु-संस्थागत परियोजना के मामले में, प्रधान अन्वेषक (पीआई) को सहयोगी संस्थानों/वैज्ञानिकों से औपचारिक करार प्रस्तुत करना होगा।
7. परियोजना जनशक्ति संगठन के नियम और विनियम के अनुसार परियोजना रीति में पूर्णकालिक रूप से काम करेगी, न कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (जीओआई) के कर्मचारी (ओं) के रूप में और इसका उपयोग महिला एस एंड टी कार्यक्रम में डेटा संग्रह और विश्लेषण के समन्वय में भी आउटपुट, परिणाम और प्रभाव की दृष्टि से किया जा सकता है। ऐसा स्टाफ सदस्य अन्य परियोजनाओं से वेतन नहीं लेंगे, लेकिन विशिष्ट गतिविधियों के लिए मानदेय प्राप्त कर सकते हैं। सहायता का उपयोग नवोन्मेषी विचारों और गतिविधियों के विषय में सोचने और निरूपित करने के लिए भी किया जाना चाहिए। प्रधान अन्वेषक और सह-अन्वेषक को परियोजना के लिए पर्याप्त

समय देने में सक्षम होना चाहिए और एक साथ दो से अधिक परियोजनाओं को नहीं संभालना चाहिए।

8. डीएसटी (सीड डिवीजन) को परियोजना टीम के किसी भी सदस्य के संगठन छोड़ने की स्थिति में तुरंत सूचित किया जाएगा और रिक्ति के 3 महीने के भीतर प्रतिस्थापन की सूचना दी जानी चाहिए।
9. परियोजना जनशक्ति के लिए न्यूनतम अवसंरचना और सहायता सेवाएं संगठन की जिम्मेदारी होनी चाहिए। प्रत्येक संगठन को बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी प्रसार और अन्य आउटरीच गतिविधियों के लिए संबंधित प्रभाव क्षेत्र में केवीके, छोटे वीओ के साथ नेटवर्किंग को भी मजबूत करना चाहिए। इसके अलावा, परियोजना कर्मी इन भागीदार वीओ के क्षमता वर्धन को उत्प्रेरित और संवर्धित करेंगे ।
10. परियोजना के लिए निरंतरता और वित्तीय सहायता समय-समय पर विशेषज्ञ टीम द्वारा प्रगति के मूल्यांकन और निर्धारण पर निर्भर करेगी। कार्य निष्पादन न करने से आगे की परियोजना सहायता के लिए अनुदान/ रुक सकता है/अयोग्यता उत्पन्न हो सकती है।
11. कार्यक्रम के तहत अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की अनुमति नहीं है।
12. परियोजना अनुदान प्राप्त होने के बाद, भर्ती की गई जनशक्ति का हस्ताक्षरित बायोडाटा और जॉइनिंग विवरण तीन महीने के भीतर सीड डिवीजन, डीएसटी को सूचित किया जाना चाहिए।
13. प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समय-सीमा के अनुसार खर्च के लेखा परीक्षित विवरण (एसई) और उपयोग प्रमाण पत्र (यूसी) के साथ प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए।
14. प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अंत में अव्ययित शेष राशि और अर्जित ब्याज को भी एसई और यूसी में सूचित किया जाना चाहिए और अव्ययित शेष राशि को अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेनीत करने के लिए अनुमति मांगी जा सकती है। प्रत्येक वित्त वर्ष में अर्जित ब्याज को भारत की संचित निधि-भारत कोष में जमा किया जाना चाहिए और विवरण का उल्लेख यूसी एवं एसई में किया जाना चाहिए।
15. जीईएम पोर्टल में उपलब्ध पूंजीगत परिसंपत्तियों (उपभोज्य सामग्रियों/उपकरणों) को केवल जीईएम के माध्यम से ऑनलाइन प्रापित किया जाना है। परियोजना सहायता से सृजित की जाने वाली पूंजीगत परिसंपत्तियों/सुविधाओं को अलग स्टॉक बुक/रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए।
16. परियोजना से सृजित/परिनियोजित पूंजीगत परिसंपत्तियों का उपयोग कार्यान्वयन अवधि के दौरान और परियोजना सहायता के पूरा होने के बाद भी वांछित लाभार्थियों द्वारा किया जाएगा। जीएफआर-2017 के नियमों का पालन किया जाना चाहिए।
17. सभी उपकरणों और अन्य फील्ड परिसंपत्तियों, पीपीटी, बैनर, बोर्ड, मैनुअल, रिपोर्ट आदि को श्रेय भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के समानांतर, सशक्तिकरण और विकास विज्ञान (सीड) प्रभाग के एसएण्डटी महिला कार्यक्रम के तहत महिला कार्यक्रम के तहत उत्प्रेरित और सहायित के रूप में श्रेय प्राप्त होगा ।
18. डीएसटी किसी भी समय परियोजना सहायता का ऑडिट और निरीक्षण करने के लिए अधिकृत होगा और परियोजना टीम इस तरह के ऑडिट या निरीक्षण की सुविधा प्रदान करेगी।

19. डीएसटी के अधिकारी को संगठन के कार्य निकाय की बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, जिसमें परियोजना गतिविधियों से संबंधित प्रगति और व्यय विवरण पर चर्चा की जाएगी। डीएसटी इसके लिए उपयुक्त अधिकारी नामित करेगा।
20. डीएसटी को अन्य एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के बारे में सूचित किया जाएगा। ऐसी परियोजनाओं का लेखा-जोखा अलग से रखा जाना चाहिए।
21. प्रत्येक प्रशिक्षण गतिविधि को प्रशिक्षण की विषय वस्तु, विषय-सूची, प्रशिक्षकों के नाम और प्रतिभागियों के नामों और उनके पते, स्थान और प्रशिक्षण की तारीख के साथ ठीक से प्रलेखित किया जाना चाहिए।
22. परियोजना टीम के प्रत्येक सदस्य को दिन-प्रतिदिन अपने द्वारा किए गए कार्यों को रिकॉर्ड करने के लिए लॉग बुक बनानी चाहिए।
23. परियोजना सहायता समूह द्वारा शुरू की गई गतिविधियों जैसे प्रत्येक नए विचार का अनुसरण किया जाना, विचार को संसाधित करने में किए गए खर्च, नियोजित व्यक्ति, प्रस्तावित उपकरण आदि के संबंध में उचित प्रलेखन का अनुरक्षण किया जाना चाहिए।
24. समाज/लाभार्थियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त लाभों का प्रलेखन कहानी और वीडियो के रूप में किया जाना चाहिए।
25. सीड डिवीजन, डीएसटी द्वारा सहायित दो डब्ल्यूटीपी परियोजनाओं के बीच 3 साल की कूलिंग ऑफ अवधि रखना अनिवार्य है। कूलिंग अवधि की गणना परियोजना के पूरा होने की तारीख से नए परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक की जा सकती है।

हम उपरोक्त निबंधनों और शर्तों से सहमत हैं।

दिनांक: ( )
स्थान:
हस्ताक्षर और मुहर

[संगठन के प्रमुख -**1]**

दिनांक: ( )
स्थान:
हस्ताक्षर और मुहर

[संगठन के प्रमुख -**2]**

(*__कार्यान्वयन और साझेदार संस्थान / एजेंसी दोनों के संगठन प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना है)__ ।